

## युवाओं में उभरते नूतन मूल्य

डॉ० मौहम्मद अय्यूब

असिस्टेंट प्रोफेसर

समाजशास्त्र विभाग

गोविन्द बल्लभ पंत महाविद्यालय कछला, बदायूं

### सारांश

प्रस्तुत शोध प्रपत्र युवाओं में उभरते नूतन मूल्यों पर आधारित है। समाजशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मैंने भारतीय समाज में विवाह के परिवर्तित स्वरूप का अध्ययन करना उचित समझा इस अध्ययन में परिवार, विवाह से जुड़े कई अनछुपे पहलुओं पर प्रश्न किये गये और पाया गया कि सामाजिक संरचना की एक अहम हिस्सा माने जाने वाली इस युवा पीढ़ी में पारम्परिक मूल्यों और मानकों के प्रति कितना परिवर्तन आया है? यह परिवर्तन सकारात्मक है या नकारात्मक? युवाओं के जीवन में बदलाव की गति क्या है? क्या बदलते नैतिक मूल्यों से समाज में समानता और भाईचारे को उत्पन्न किया जा सकता है? इत्यादि के सन्दर्भ में समाजशास्त्रीय समाधानों को ज्ञात करने के लिए यह शोध पत्र तैयार किया गया है। निदर्शन के रूप में इस शोध में मुरादाबाद नगर में अध्ययनरत 200 छात्र-छात्राओं का चयन किया गया है। चयन करते समय 18-25 वर्ष तक के छात्र-छात्राओं को उनकी जाति की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये स्तरीकृत यादृच्छिक स्टेडीफाइड रेन्डम सेम्पलिंग के आधार पर चुना गया है।

जर्मनी समाशास्त्री कार्ल मैनहेम द्वारा परिभाषित किया गया था, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि युवा एक प्रकार का रिजर्व है जो उस समय सामने आता है, जब जीवन के गुणात्मक रूप से नवीन और तेज रफ्तार से बदलती परिस्थितियों के लिये पुनरोद्धार आवश्यक हो जाता है। गतिशील समाज को उस साधन के माध्यम से सक्रिय और संगठित किया जाना चाहिये जो पारंपरिक दृष्टिकोण में अक्सर जुटाये नहीं जाते हैं बल्कि दबाये जाते हैं, उनके विचारों में युवा प्रकृति में न तो रूढ़िवादी है और न ही प्रगतिशील हैं, यह एक शक्ति है जो शुरू में किसी भी उपक्रम के लिये तैयार है। युवाओं को सामाजिक और आयु-वर्ग द्वारा एक जर्मन वैज्ञानिक माना जाता था, जो सांस्कृतिक मूल्यों को अपने तरीके से मानता है, जो अलग अलग समय पर उस संस्कृति या कठबोली के महाकाव्य के रूपों को जन्म देता है।

संरचनात्मक परिवर्तनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन सामाजिक मूल्यों में होना वाला परिवर्तन है। सामाजिक मूल्य व्यक्ति के सामाजिक कार्यों को प्रभावित करते

हैं। सामाजिक मूल्यों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक संरचना तथा सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। ऐसे परिवर्तन समाज में धीमी गति से होते हैं। सच तो यह है कि विभिन्न संस्कृतियों से सम्बन्धित मूल्यों में भिन्नता होने के कारण ही विभिन्न सामाजों की प्रकृति एक दूसरे से कुछ भिन्न देखने को मिलती है।<sup>1</sup> मूल्यों की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए प्रो० राधा कमल मुखर्जी ने लिखा है कि “मूल्य एक जटिल सम्पूर्णतः है” यह चेतना प्राणिशास्त्रीय सामाजिक आदर्श दशा है।<sup>2</sup>

हम वर्तमान समय का आकलन करें तो प्रतीत होता है कि बाल्यकाल से ही नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है। बच्चों और युवाओं में आदर व सम्मान का भाव कम दिखाई पड़ रहा है। बच्चे स्वभाव से उदण्ड होते जा रहे हैं उनमें नैतिक मूल्य व शिष्टाचार कहीं खोने लगी है। सभ्य संस्कारों को बाल्यकाल में ही विकसित किया जा सकता है।

परम्परागत भारतीय समाज में स्वतंत्रता से पूर्व इतना खुलापन नहीं था जितना स्वतंत्रता के साथ पश्चिमी संस्कृति प्रभाव के कारण हुआ। पश्चिमी संस्कृति ने हमारे देश की संस्कृति की मौलिकता को पूर्ण रूप से प्रभावित किया, जिससे हमारे पारम्परिक मानकों में तेज़ी से परिवर्तन हुआ। कुछ परिवर्तन तो ग्राह्य थे, लेकिन पश्चिमी चरित्र का प्रवेश हमारी मूल संवेदना और मूल्यों के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में युवा छात्र-छात्राओं से परिवार, विवाह से जुड़े कई अनछुपे पहलुओं पर प्रश्न किये गये और पाया गया कि सामाजिक संरचना की एक अहम हिस्सा माने जाने वाली इस युवा पीढ़ी में पारम्परिक मूल्यों और मानकों के प्रति कितना परिवर्तन आया है? यह परिवर्तन साकारात्मक है या नाकारात्मक? युवाओं के जीवन में बदलाव की गति क्या है? क्या बदलते नैतिक मूल्यों से समाज में सामानता और भाईचारे को उत्पन्न किया जा सकता है? इत्यादि के सन्दर्भ में सामाजशास्त्रीय समाधानों को ज्ञात करने के लिए यह शोध पत्र तैयार किया गया है।

आज भारतीय समाज तकनीकी विकास से नहीं, बल्कि संचार क्रान्ति के दौर से गुजर रहा है। इस काल खण्ड में शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति की जीवन पद्धति निरन्त परिवर्तन की ओर अग्रसर है भारत में इस बदलती परिस्थिति का असर मुख्य रूप से

भारतीय युवाओं पर पड़ रहा है। तमाम धार्मिक व सामाजिक दबाव के बावजूद युवा अपने अधिकारों को प्राप्त करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। जिसकी झलक अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर नजर आ रही है।

सभी समाजों में आज विवाह संस्था नवीन परिवेश ग्रहण कर रही है। यह कहना गलत न होगा कि समाज में विवाह के रूप में होने वाला परिवर्तन अपेक्षाकृत कम है, जबकि अन्य धर्मवलम्बियों में विवाह से सम्बन्धित मान्यतायें निषेध और आधारभूत सिद्धान्त पूर्णतयः बदल चुके हैं। विभिन्न संस्कृतियों में भिन्नता होने के कारण विवाह के रूप में अन्तर पाया जाना भी बहुत स्वभाविक है। कुछ समाज में विवाह का स्वरूप पूर्णतयः धार्मिक होता है, जबकि कुछ समाजों में विवाह को एक समझौते के रूप में देखा जाता है और पश्चिमी सभ्यता के अन्तर्गत विवाह जैसी संस्था मित्रता का एक सुविधापूर्ण बन्धन है, जबकि जनजातियों में विवाह को आर्थिक संस्था के रूप में देखा जाता है, लेकिन विवाह एक ऐसी संस्था है जो सभी समाजों में महिला पुरुष को यौनिक सम्बन्धों की नियमबद्ध पूर्ति करने की आज्ञा प्रदान करती है और समाज में पदभ्रष्टा को रोकने के साथ-साथ निरन्तरता बनाये रखती है।

वर्तमान युग में विवाह के सभी नये परिवेशों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है— विवाह का प्रथम परिवेश वह है जो सामाजिक अधिनियमों में क्रान्तिकारी परिवर्तन होने के कारण व्यक्तियों को अपने विचारों में बराबर परिवर्तन करने की प्रेरणा दे रहा है। आज नये सामाजिक कानूनों के द्वारा अन्तरविवाह का नियम समाप्त हो चुका है लेकिन इस नियम की सामाजिक शक्ति अभी भी बनी हुई है। शिक्षा के प्रसार, औद्योगिकरण तथा नवीन मूल्यों के कारण अन्तरजातीय विवाहों की संख्या अभी इतनी अधिक नहीं है कि निकट भविष्य में अन्तरविवाह नियम के खत्म हो जाने की उम्मीद करना बहुत कठिन है।

दूसरा परिवर्तन वह है जिसे हम रोमांटिक प्रेम के रूप में देख रहे हैं यह परिवर्तन सामाजिक अधिनियमों में क्रान्तिकारी बदलाव की देन है। इस विचारधारा से प्रभावित विवाहों में जाती सम्प्रदाय एवं परिवार की कुलीनता आदि को महत्व नहीं दिया जाता। कभी-कभी तो विभिन्न धर्मों के व्यक्ति भी प्रेम सम्बन्धों की वजह से विवाह कर लेना

बहुत अच्छा समझते हैं। ऐसे विवाहों की वजह से हमारे सामाजिक मूल्यों के सामने कठिन समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। इतना ही नहीं ऐसे विवाहों के कारण संयुक्त परिवार व्यवस्था को बनाये रखना मुश्किल हो रहा है अधिकतर समाजशास्त्री व बुद्धिजीवी प्रेम विवाह को दो व्यक्तियों का सम्बन्ध बताते हैं न कि दो परिवारों का। लेकिन यहां यह प्रश्न उठता है कि अगर प्रेम विवाह दो व्यक्तियों का सम्बन्ध है न कि दो परिवारों का तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वास्तविकता यह है जिन परिवारों में प्रेम विवाह सम्पन्न हुए हैं और उन परिवारों के मुख्य सदस्यों ने उनसे नाता तोड़ लिया है तो यह स्थिति परिवारों में अलगाव को उत्पन्न करती है। दूसरी ओर अन्तरजातीय विवाह हो या प्रेम विवाह इनके फलस्वरूप पति-पत्नी को एक दूसरे की भावनाओं को समझने और एक दूसरे से अनुकूलन करने का सबसे अधिक अवसर मिलता है। ऐसे विवाहों में पति-पत्नी की योग्यता, रुचि और आयु में ज्यादा अन्तर नहीं होता। यही वजह है कि समाज में वैवाहिक समस्याएँ उत्पन्न नहीं हो पाती जिनका सामना हम सैंकड़ों वर्षों से करते आ रहे हैं। इस नजरिये से अन्तरजातीय विवाह एवं रोमांटिक प्रेम से प्रभावित विवाह सदैव वैवाहिक सम्बन्धों की स्थिरता बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं।

तीसरा व अन्तिम परिवर्तन वह है जो आधुनिक शिक्षा और औद्योगिकरण का परिणाम है। अब कोई भी शिक्षित व्यक्ति विवाह को जन्म-जन्मान्तर का एक अटूट बन्धन नहीं समझता।

आज बदलती हुई परिस्थितियों में विस्तृत परिवार या संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों का एक ही स्थान पर बने रहें सम्भव नहीं है। लड़के-लड़कियों को एक दूसरे के सम्पर्क में आने और निकट सम्बंध स्थापित करने की सुविधाएँ भी प्राप्त होने लगी हैं। जाति के बन्धन भी कुछ शिथिल होते जा रहे हैं। यह सब ऐसे कारण और परिस्थितियाँ हैं जिन्होंने विवाह संरचना के परिवर्तन में सहयोग दिया है।<sup>3</sup>

उत्तर प्रदेश में बढ़ती जाति-प्रथा और असमानता को खत्म करने के लिये सरकार ने अन्तरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिये एक नई और सार्थक पहल की है। अन्तरजातीय विवाह योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार अन्तरजातीय विवाहित

जोड़ों को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता के साथ विवाह में पदक और प्रमाण-पत्र भी प्रदान करेगी। यह योजना पूरे राज्य में लागू है।<sup>4</sup>

समाज में जातीय पूर्वग्रहों को खत्म करने के लिए सरकार अन्तरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दे रही है। इसके लिए अन्तरजातीय विवाह योजना भी चला रही है, जिसमें समय-समय पर कई बदलाव भी किये गये हैं। ताकि समाज में भेद-भाव और जाति बन्धन इत्यादि समस्याओं को समाप्त किया जा सके। इस वित्तीय वर्ष 500 लाभार्थियों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए पाँच करोड़ रुपये भी आवंटित किये गये हैं। अन्तरजातीय विवाह योजना के तहत समाज में व्याप्त जाति-प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से अन्तरजातीय विवाह करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है इस योजना के तहत दूसरी जाति में विवाह करने वाली महिलाओं को एक लाख रुपये की राशि का भुगतान राष्ट्रीयकृत के फिक्सड डिपॉजिट के रूप में किया जाता है, जिसकी न्यूनतम अवधि तीन वर्षों की है। शादी के तीन साल बाद ही वधू इस राशि को निकाल सकेगी। मार्च 2014 के बाद विवाह करने वाले प्रति जोड़ों को 50 हजार रुपये की राशि दी जाने का प्रावधान था, जो सितम्बर 2015 में 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया।<sup>5</sup>

कुछ अध्ययन यह दावा करते हैं कि भारतीय अन्तरजातीय विवाह को लेकर उदार हो रहे हैं। 2004 के आम चुनाव सम्बंधी अध्ययन में 27 हजार उत्तरदाताओं से पूछा गया था कि वे अन्तरजातीय विवाह पर पाबंदी लगाने के पक्ष में हैं? 60 प्रतिशत ने इस प्रस्ताव पर हामी भरी थी। इसका अर्थ यह हुआ कि 40 प्रतिशत भारतीय अन्तरजातीय विवाह के पक्ष में हैं। अगर ऐसा है तो इस अध्ययन के 15 साल बाद भी मात्र 5 प्रतिशत भारतीय ही अन्तरजातीय विवाह क्यों करते हैं। भारत के उच्च शिक्षित युवा भी अन्तरजातीय विवाह से क्यों कतराते हैं। वे अपनी ही जाति में विवाह इस लिये करते हैं, क्योंकि उन्हें सामाजिक और पारिवारिक अस्वीकृति का डर रहता है। प्रेम सम्बंधों से उन्हें गुरेज नहीं होता पर टकराओं में जाने के बजाय उन्हें अपने अभिभावकों की इच्छा से विवाह करना सहज लगता है।<sup>6</sup>

महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में भेद-भाव की घटनाओं को खत्म करने के लिये अन्तरजातीय विवाह योजना की शुरुआत की है इस योजना के अन्तर्गत अन्तरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को 50 हजार रुपये की धनराशि प्रदान करने का प्रावधान था, लेकिन नई आदेशानुसार महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है। सरकार के इस निर्णय से उन हजारों लोगो में खुशी की लहर दौड़ रही है। जो अन्तरजातीय विवाह तो करना चाहते हैं, परन्तु समाज के विरोध से डरते हैं।<sup>7</sup>

अन्तर्जातीय विवाह भारत में प्राचीनकाल से ही समाज में अपवाद रूप से चले आ रहे हैं, पहले जहाँ प्राचीन भारत में अन्तर्जातीय विवाह स्त्री-पुरुष की अशक्ति अथवा पुरुष की शक्ति के कारण हो जाया करते थे, वहीं अब यह नई सामाजिक परिस्थितियों के कारण हो रहे हैं।<sup>8</sup>

अगर हम इस परिवर्तनशील समाज में युवाओं की आधुनिक जीवनशैली पर नजर डालें तो इस सच्चाई से इन्कार नहीं किया जा सकता कि आज के युवा उपभोक्तावादी समाज का हिस्सा तो बने ही हैं, बल्कि उनके सामाजिक सम्बन्धों, समाज के ढांचे अथवा सामाजिक मूल्यों में भी धीमी गति से निरन्तर परिवर्तन देखने को मिला है। जो पहले सम्भव नहीं था। युवाओं की इस बदलती परिस्थिति को ध्यान में रखकर शोधकर्ता ने यह जानने का प्रयास किया है कि अन्तरजातीय विवाह के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है।

### **शोध के उद्देश्य**

जहाँ तक प्रस्तुत शोध से जुड़े उद्देश्य का प्रश्न है तो इस सन्दर्भ में कहा जा सकता है कि इस शोध के अन्तर्गत अन्तर्जातीय विवाह के प्रति युवा पीढ़ी की मानसिकता का ज्ञान प्राप्त करना, अन्तर्जातीय विवाह का सामाजिक संस्थाओं पर प्रभाव ज्ञात करना, अन्तरजातीय विवाह का पारिवारिक जीवन पर प्रभाव का पता लगाना, अन्तरजातीय विवाह द्वारा जातिवाद क्षेत्रवाद आत्महत्या एवं दहेजप्रथा एवं घरेलू हिंसा आदि समस्याओं के निदान की सार्थकता का आंकलन करना और अन्तरजातीय विवाह द्वारा सांस्कृतिक मान्यताओं में परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

### **षोध अभिकल्प एवं पद्धतिषास्त्रः-**

जब कोई अनुसंधानकर्ता शोध समस्या का अध्ययन करना चाहता है तो समस्या निर्धारण के बाद उसका मुख्य सोपान शोध अभिकल्प को बनाना होता है। यह मुख्य सोपान अनुसंधानकर्ता का शोध कार्य करने की योजना सम्बन्धी उपकरण होता है। इस रूपरेखात्मक योजना को "रिसर्च डिजाइन" शोध अभिकल्प, शोध प्रारूप, शोध प्रचरना अथवा शोध योजना कहते हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र युवाओं में उभरते नूतन मूल्यों पर आधारित हैं। समाजशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मैंने भारतीय समाज में विवाह के परिवर्तित स्वरूप का अध्ययन करना उचित समझा तथा मुरादाबाद नगर के महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के अन्तरजातीय विवाह का स्वरूप परिवर्तित सामाजिक मान्यताओं में उनका प्रभावित होना, नये विधानों का अन्तरजातीय विवाह पर प्रभाव तथा ऐसे विवाहों का सामाजिक कुश्रितियों जैसे-आत्महत्या, दहेज प्रथा, बाल-विवाह जातिवाद, क्षेत्रवाद आदि को दूर करने में योगदान एवं भारतीय समाज में अन्तरजातीय विवाहों का भविष्य तथा अन्तरजातीय विवाह की सहायता से संस्कृतिकरण को महत्व मिलना इत्यादि का अध्ययन इस विषय को शोध का मुख्य केन्द्र बनाया है।

### **समग्र तथा प्रतिदर्ष चयन :-**

प्रस्तुत शोध का अभिकल्प वर्णात्मक एवं अनुसंधात्मक है। जहाँ तक प्रस्तुत शोध से जुड़े निदर्शन, साक्षात्कार, अनुसूची, तथ्य संकलन एवं तथ्यों के विश्लेषण का प्रश्न है तो इस सन्दर्भ में कहा जा सकता है कि निदर्शन के रूप में इस शोध में मुरादाबाद नगर के महाराजा हरिश्चन्द्र महाविद्यालय में अध्ययनरत 200 छात्र-छात्राओं का चयन किया गया है। चयन करते समय 18-25 वर्ष तक के छात्र-छात्राओं को उनकी जाति की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए स्तरीकृत यादृच्छिक स्टेटीफाइड रेन्डम सेम्पलिंग के आधार पर चुना गया है। तथ्य संकलन के सन्दर्भ में कहा जा सकता है कि वर्तमान शोध में प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए चयनित छात्र-छात्राओं से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से पूर्ण किया है।

## तथ्यों का विश्लेषण, निष्कर्ष एवं सुझाव :-

उपर्युक्त विषय वस्तु एवं विषय की प्रासंगिकता को दृष्टिगत रखते हुए कहा जा सकता है कि पाश्चात्य शिक्षा ने हमारे परम्परागत सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन कर दिया है। परिणामतः सहशिक्षा बदलते कानूनी महिला सुधार आन्दोलन, समाज सुधारक संस्थाएँ, दूरदर्शन, पत्र-पत्रिकाएँ आदि कारकों ने परम्परागत विवाह के स्वरूप में सामान्य रूप से परिवर्तन ला दिया है। दृष्टिकोणों में परिवर्तन का ही कारण है कि आज अन्तर्जातीय विवाह तथा प्रेम-विवाह आदि को प्रोत्साहन मिल रहा है। समाज में ऐसे विवाहों को कितनी लोकप्रियता मिल रही है। उनका समाज के विभिन्न पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या बदलती परिस्थितियों में अन्तरजातीय विवाहों का भविष्य उज्ज्वल है। सामाजिक संरचना की एक अहम हिस्सा माने जाने वाली इस युवा पीढ़ी में पारम्परिक मूल्यों और मानकों के प्रति कितना बदलाव आ रहा है? यह बदलाव सकारात्मक है या नकारात्मक इन तथ्यों का विश्लेषण इस शोध पत्र में किया गया है।

शोध के तथ्यों से स्पष्ट हुआ है कि 42% उत्तरदाता संयुक्त परिवार में अपना जीवन यापन कर रहे हैं तथा 45% उत्तरदाता एकांकी परिवारों से सम्बन्ध रखते हैं। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि अधिकांश उत्तरदाता संयुक्त परिवारों की संख्या एकांकी परिवारों की तुलना में अधिक है।

विवाह के सम्बन्ध में शोधकर्ता ने पाया कि उत्तरदाता केवल अभिभावकों आदि द्वारा तय किये गये विवाह को नापसन्द करते हैं, बल्कि उनमें अधिकांश 48 प्रतिशत उत्तरदाता जीवन साथी चुनाव में स्वयं निर्णय लेना चाहते हैं। इसके साथ-साथ उन्होंने विवाह में जाति बन्धन को वरीयता न देने का दृष्टिकोण भी प्रकट किया इस सम्बन्ध में 68 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने विवाह में जाति बन्धन को पूर्णतः अनुचित माना, बाकी 32 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने विवाह जाति को उत्तम और अति-उत्तम स्वीकार किया है, उनमें अधिकतर उत्तरदाता ग्रामीण परिवेश के थे। अर्थात् यहाँ यह कहना गलत न होगा कि ग्रामीण समाज में अभी भी जाति बन्धन को महत्व दिया जा रहा है।

सर्वेक्षण के दौरान यह भी तथ्य निकलकर सामने आया कि छात्राओं की तुलना में 54 प्रतिशत छात्रों ने अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने की बात कही। जहाँ तक

छात्रों का प्रश्न है तो 34 प्रतिशत का मत था वह अर्न्तजातीय विवाह को अति उत्तम मानती हैं बाकी 12 प्रतिशत उत्तरदाता ने अर्न्तजातीय विवाह के सम्बन्ध में असहमति प्रकट की। यह वह छात्राएँ थी जो ग्रामीण परिवेक्ष से सम्बन्ध रखती थी।

परिवार नियोजन के सम्बन्ध में तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अधिकांश युवा उत्तरदाता अर्थात् 80 प्रतिशत परिवार नियोजन के पक्ष में तथा 05 प्रतिशत ने परिवार नियोजन के विरोध में अपनी राय प्रस्तुत की। सर्वेक्षण के दौरान 15 प्रतिशत उत्तरदाता उदासीन रहे उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया।

प्रेम विवाह के सम्बन्ध में पाया गया कि अधिकांश अर्थात् 60 प्रतिशत उत्तरदाता इसे सही मानते हैं सर्वेक्षण के दौरान 10 प्रतिशत ने प्रेम विवाह को अनुचित ठहराया। बाकी 30 प्रतिशत का मानना था कि उनकी पसन्द में उनके माता-पिता की सहमति मिल जाये तो इससे अच्छा हो ही नहीं सकता।

मुख्य अवलोकनों और व्यवहारिक ज्ञान तथा अनुभवों के द्वारा एकत्रित सामग्री विश्लेषण के आधार पर शोधकर्ता यह कहना चाहता है कि आधुनिकीकरण की तीव्र गति से युवाओं की रुचियों एवं मूल्यों तथा उनकी जीवन शैली प्रभावित हुई है। परिणामतः उनके प्रेरणादायक मूल्यों तथा व्यवहार प्रतिमानों में व्यापक परिवर्तन आते देखे गये हैं।

### —: सन्दर्भ :-

1. जी.के. अग्रवाल, समाजशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिशर्स, आगरा, 2003, पृ०-60
2. आर. के. मुखर्जी, मूल्यों की सामाजिक संरचना, पृ०-104

3. गीता कुमारी, मुस्लिम परिवारों के विवाह में होने वाले परिवर्तन: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, इन्टरनेशनल जनरल ऑफ ह्यूमोनिटीज एण्ड सोशल साइंस रिसर्च, वर्ष-10, अंक 3, अक्टूबर- 2017, पृ०-64
4. हेल्प लाईन डिपार्टमेंट, उ०प्र०, 29 अगस्त-2018
5. प्रभात खबर, बिहार, 9 नवम्बर-2016
6. ऋतु सारस्वत, जाति का बढ़ता जोर, समाज में इसकी गहरी पेठ की वजह, नवभारत टाइम, नई दिल्ली, 26 जुलाई-2019, ऐडिट पेज
7. न्यूज इण्डिया, महाराष्ट्र, 03 अक्टूबर-2020
8. सविता, अन्तर्जातीय विवाह के प्रति नवीन दृष्टिकोण, इन जनरल ऑफ एडवांस एण्ड स्कॉलरी रिसर्च इन एलाइड एजुकेशन, पृ०-02